राष्ट्र निर्माण में पब्लिक सर्वेंट की अहम भूमिका : भजनलाल शर्मा

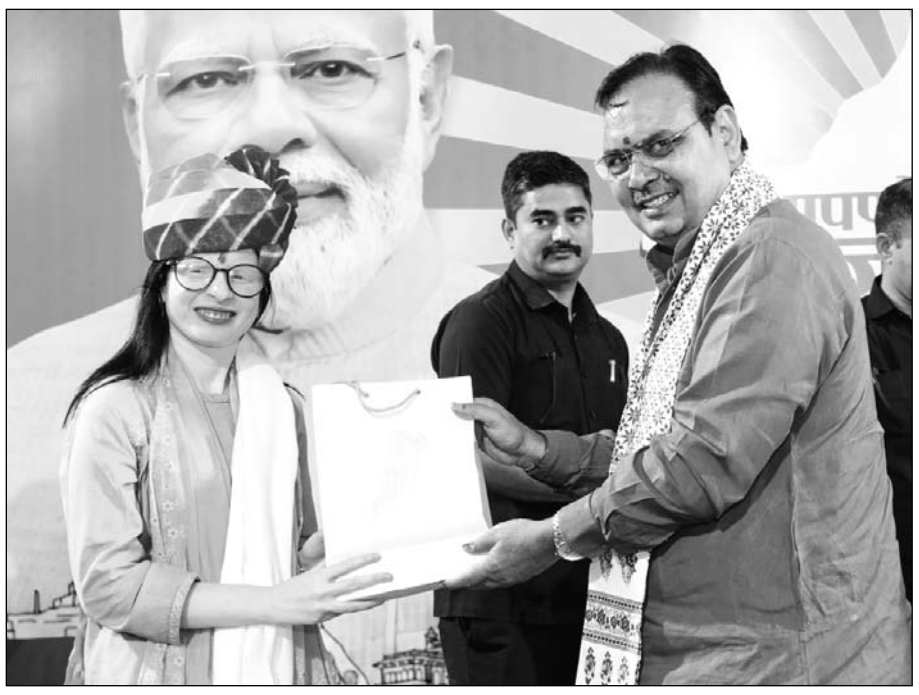

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उनके निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया।

■ मुख्यमंत्री ने युवा-अधिकारियों से विनम्रता व धैर्य को अपनाने तथा जड़ों से जुड़े रहने का किया आव्हान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान कर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया है कि वे सभी अमृत काल के योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे तथा उत्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देशभर में रोशन करेंगे। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष से चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की पहल की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली यह परीक्षा पास करके प्रदेश के युवाओं ने अपने माता-पिता के साथ ही क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के बाद जीवन में बेहतर कार्य करते हुए परिजनों की खुशी के भाव को जीवन में आगे भी बनाएं रखें।

मुख्यमंत्री ने 'कर्ता के आगे हारे करतार' उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा दृढ़ संकल्प के साथ की गई मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता के बाद भी चयनित युवाओं के जीवन में नए परिश्रम का दौर शुरू होगा। क्योंकि राष्ट्र निर्माण और गरीब कल्याण में लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। उन्होंने जीवन में विनम्रता एवं धैर्य को अपनाते हुए आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने का आ ान किया।शर्मा ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन के कर्णधार हैं तथा लोक सेवा का महत्व हमारे समाज और राष्ट्र के लिए असीमित है। इसलिए लोक सेवकों का नवाचारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि आम लोगों को बेहतर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने आ ान किया कि हमारे प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा से वीरों, विद्वानों और कर्मठ लोगों को जन्म दिया है और अब वे सभी भी अपनी सेवा के माध्यम से गौरवमयी मिट्टी की खुशबू को फैलाएं और कर्मभूमि के साथ ही जन्मभूमि से जुड़े रहे।

समारोह में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की इस पहल से प्रदेश के होनहारों को प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसेवक के रूप में देश और समाज की सेवा का सौभाग्य चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है। महानिदेशक पुलिस ने कहा कि अपने सेवाकाल में हमेशा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दें और अपनी सफलता में माता-पिता और परिजनों के योगदान को कभी नहीं भूले।

समारोह में जयपुर निवासी दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में 91वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र अपनी माताजी के संकल्प को बताया। वहीं देशभर में 20वां स्थान हासिल करने वाले जोधपुर निवासी त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोक सेवक के रूप में वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके अपने पिता द्वारा दी गई प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चयनित प्रतिभाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री के साथ चयनित युवाओं का सामूहिक फोटो सेशन भी हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

अंता विधायक मीणा को मिली सजा रद्द करने से इनकार

■ हाईकोर्ट ने तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिये

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अंता विधायक कंवर मीणा को मिली तीन साल की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कंवरलाल की रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तुरंत निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त सरेंडर नहीं करता तो निचली अदालत उसके गिरफ्तारी वारंट जारी करे। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश कंवरलाल मीणा की रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक निष्पक्ष लोक सेवक जब प्रतिकूल हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा था, तब अभियुक्त ने करीब तीन सौ लोगों की भीड़ को उकसाते हुए रिपोल की मांग करते हुए उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। इस प्रकार के अपराध से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि लोक सेवकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।

रिवीजन याचिका में कहा गया कि घटना के दो दिन बाद काल्पनिक तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी गई है। निचली अदालत में सभी लोक सेवक पक्षद्रोही हुए हैं। वहीं उसे राजनीतिक द्वेषता के चलते प्रकरण में फंसाया गया है। इसलिए निचली अदालत के दोषसिद्धी आदेश को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील विवेक चौधरी व परिवादी के अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि घटना के समय याचिकाकर्ता आपराधिक किस्म का व्यक्ति था और उस पर 15 प्रकरण दर्ज थे। अभियुक्त के भय व आतंक के कारण पुलिसकर्मी व लोक सेवक उसके खिलाफ बयान देने की स्थिति में नहीं थे। यहां तक की पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद रिपोर्ट तक नहीं की गई। वहीं अभियुक्त के स्थानीय इलाके में मौजूद होने के बावजूद तीन साल तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इससे पुलिस की लाचारी साफ नजर आती है। इसके अलावा तत्कालीन प्रशिक्षु आईपीएस व तहसीलदार ने अभियुक्त के खिलाफ बयान दिए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त विधायक की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार अकलेरा के तत्कालीन एसडीओ रामनिवास मेहता ने 5 फरवरी, 2005 को स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखा कि 3 फरवरी को मनोहर थाना के पास गांव के लोक खाताखेडी के उपसरपंच के चुनाव का रिपोल कराने को लेकर रास्ता रोक रहे थे। इस दौरान वह और प्रशिक्षु आईपीएस सहित अन्य स्टाफ समझाइश कर रहा था। इतने में कंवरलाल अपने साथियों के साथ वहां आया और उसके सिर पर रिवाल्वर लगाकर दो मिनट में रिपोल की घोषणा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसने विभाग की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोडकर जला दी। घटना के समय दो थानाधिकारी व एक आरपीएस भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कलेक्टर की ओर से इस पत्र को एसपी को भेजने के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वहीं बाद में निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीजेएम, मनोहर थाना ने 2 अप्रैल, 2018 को कंवरलाल को बरी कर दिया। इसके खिलाफ परिवादी और राज्य सरकार की अपील पर एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 14 दिसंबर, 2020 को कंवरलाल को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा गत 17 अप्रैल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विधायकी रद्द करने की मांग

जयपुर। विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा के विरुद्ध एडीजे झालावाड़ द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं

मानसिक दिव्यांग अविवाहित पुत्री को फैमिली पेंशन देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पूर्व राजकीय कर्मचारी की मानसिक रूप से दिव्यांग 62 साल की अविवाहित पुत्री को अंतरिम रूप से फैमिली पेंशन अदा करे। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग पेंशन का लाभ दें और इसकी गणना फैमिली पेंशन में नहीं की जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना के संबंध में भी जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को कहा है कि वह प्रकरण में याचिकाकर्ता को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराए, ताकि उसे फैमिली पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल सके। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से याचिकाकर्ता के जीवन स्तर को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता 62 साल की महिला है और मानसिक दिव्यांग होकर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं सहित अन्य शारीरिक बीमारियों से ग्रसित है। वह अपने रिटायर भाई के साथ रहती है और उनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र स्त्रोत भी नहीं है। दूसरी ओर अदालत के सामने आया की यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की किसी भी आयु की संतान मानसिक दिव्यांग या शारीरिक दिव्यांग होकर जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो उसे आजीवन फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके बावजूद कार्मिक विभाग ने जुलाई, 2010 को उसे यह पेंशन देने से इनकार कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन का लाभ देने को कहा है।

न्यायमित्र पूर्वी माथुर ने बताया कि याचिकाकर्ता 63 साल की एकल बुजुर्ग महिला है और मानसिक दिव्यांग है। उसके पिता सचिवालय और मां चिकित्सा विभाग में कार्यरत थी। दोनों का पूर्व में निधन होने पर वह अपने भाई-भाभी के पास रहने लगी। वहीं कुछ सालों पहले उसकी भाभी का भी निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने फैमिली पेंशन के लिए पिता के विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पिता ने सरकारी सेवा में रहते हुए कभी भी याचिकाकर्ता की मानसिक दिव्यांगता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और ना ही कोई दस्तावेज पेश किए।

भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा आज

जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से शनिवार को शाम साढ़े पांच बजे जलेब चौक से गाजेबाजे और लवाजमे के साथ भगवान श्री परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। ब्रह्म पीठाधीश्वर रामरतनदास देवाचार्य, शुक संप्रदायाचार्य अलबेली शरण माधुरी एवं अन्य शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुख्य रथ के आगे 2100 महिलाएं एक ही गणवेश में मंगलगान करते हुए शोभायात्रा की भव्यता में चार चांद लगाएंगी। शोभायात्रा में विभिन्न स्वरूपों की जीवंत एवं स्वचालित 21 झांकियां होंगी।

दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लोगो और थीम सॉन्ग लांच किया

■ बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें

जयपुर। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 'बाल विवाह मुक्त राजस्थान' अभियान की शुरुआत की है।

उपमुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी जारी किया गया है। यह लोगो और सॉन्ग लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस लॉन्च के साथ, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान के तहत सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें बाल कल्याण समितियों, बाल संरक्षण इकाइयों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों सहित 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उक्त कार्यशाला का समापन बाल अधिकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका की उपस्थिति में शपथ ग्रहण के साथ हुआ।

डॉ.अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने दौसा के लालसोट के एक अस्पताल में प्रसूता की मौत पर केस दर्ज होने के बाद डॉ. अर्चना शर्मा के सुसाइड करने के सवाई माधोपुर के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल सहित अन्य से जुडे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं मामले में राज्य सरकार व विधायक गोठवाल सहित अन्य आरोपियों से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अर्चना शर्मा के पति सुनित उपाध्याय की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को आदेश जारी कर विधायक गोठवाल के खिलाफ एडीजे कोर्ट लालसोट, दौसा के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मामले को वापस संबंधित एडीजे कोर्ट को भिजवाते हुए कहा कि वह नए सिरे से मूल चार्जशीट व पूरक चार्जशीट के आधार पर नए आदेश पारित करे।

प्रार्थी के अधिवक्ता अजय चौधरी ने बताया कि एसएलपी में कहा गया है कि मामले में अग्रिम अनुसंधान तो हो सकता है, लेकिन पुनः अनुसंधान नहीं हो सकता। इसके अलावा हाईकोर्ट ने विधायक गोठवाल के खिलाफ तय किए गए आरोप का आदेश रद्द किया है, लेकिन इसके साथ ही अन्य आरोपियों के आरोप तय करने या नहीं करने के संबंध में भी मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है। वहीं हाईकोर्ट ने केस के साक्ष्यों पर भी विचार नहीं किया है और ऐसा करना गलत है। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए गोठवाल सहित अन्य से जवाब मांगा है।

'ग्राम सिरोली में विकसित होगी आवासीय योजना'

जयपुर। जयपुर के तहसील सांगानेर के सिरोली गाँव में राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना विकसित करेगा। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मण्डल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान सरकार की मंशानुसार आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सांगानेर के सिरोली में 329.17 हेक्टेयर भूमि पर आवासन मंडल द्वारा आवासीय योजना विकसित की जाएगी।

विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षिणक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है।

अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए अन्तिम तिथि 28 मई निधारित की गई है।

31 जिला संयोजक एवं सह-संयोजक नियुक्त

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान में जन जागरूकता के लिए प्रदेश के 31 जिलों में संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की है।

अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता के लिए जिला संयोजकों एवं सह-संयोजकों की नियुक्ति की गई है।

एसएमएस और सेटेलाइट अस्पताल के हालातों पर लिया प्रसंज्ञान

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के सबसे बडे अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल की छत का प्लास्टर गिरने और मोती डूंगरी सैटेलाइट अस्पताल में संसाधनों के अभाव पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और जिला कलेक्टर से दोनों अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त कर रोगियों की सुरक्षा व सुचारू इलाज सुनिश्चित कर मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए।

आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने कहा कि अस्पताल जनमानस को रोग से मुक्ति दिलाने का पवित्र स्थान है, न कि यहां आए रोगियों को जोखिम में डालने की जगह। एसएमएस अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरने से यहां भर्ती दो मरीजों को गंभीर चोट आई और भय का माहौल पैदा हो गया। इसी तरह पूर्व में भी यहां घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी सैटेलाइट अस्पताल में भी बिना जनरेटर बिजली जाने पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने की खबर प्रकाशित हुई है। इस तरह की भविष्य में घटनाएं नहीं हो, इसलिए मामले में प्रसंज्ञान लेकर एसएमएस अस्पताल और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं।

सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन

जयपुर। भारत सरकार के निर्देश पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1 मई से 31 मई तक 30 दिवसीय सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत योजनान्तर्गत लाभ से वंचित पात्र कृषकों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इन सेचुरेशन कैम्पों में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कृषक जो कि योजना की पात्रता रखते है परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेगें।

सिविल लाइंस कूच करने के प्रयास में बेनीवाल समर्थकों सहित हिरासत में

पुलिस ने हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

■ बोले, ''एस आई भरती रद्द नहीं की, तो एक लाख युवा कूच करेंगे''

जयपुर। एसआई भर्ती निरस्त करने और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जालूपुरा स्थित आवास से समर्थकों के साथ सिविल लाइंस कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट के बाहर बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल के समर्थकों ने ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। एक घंटे बाद पुलिस ने बेनीवाल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने सिविल लाइंस कूच करने का ऐलान किया है। अगर सरकार ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर से एक लाख नौजवान जयपुर आएंगे और रैली कर शहर को जाम कर देंगे। उन्होंने कहा, वे एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने, रीट लेवल-1 और आरएएस भर्ती की जांच करवाने की मांग को लेकर युवा सात दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा, एसओजी की जांच में सामने आया है कि 400 से ज्यादा एसआई फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने इस पूरे मामले में भाजपा-कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अपनी सरकार के समय सचिन पायलट ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी, लेकिन अब वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना को लेकर कहा कि वे मंत्री बनने के बाद युवाओं की आवाज नहीं उठा पा रहे। हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार और बेनीवाल समर्थक वापस शहीद स्मारक पर इकठ्ठा हुए और धरना जारी रखा।

कांग्रेस सरकार ने पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग कर झूठा फंसाया : गोठवाल

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में मैंने गरीब, दलित व वंचित लोगो को न्याय दिलाने के लिए धरने किये थे। मेरी आवाज को बंद करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुलिस मशनरी का दुरूपयोग करके मुझे लालसोट केस में झूठा फसाया है।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश लिखकर मुझे जमानत प्रदान की थी। जिस आदेश के विरूद्ध राजस्थान की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। मगर उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मैं गिरफ्तारी के समय से ही लगातार न्याय की माँग करता आ रहा हूँ। पुलिस ने मेरे द्वारा दिये गये अग्रिम तथ्यों के आधार पर मुझे अपनी जाँच में पूरी तरह से निर्दोष माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूर्ववती पुलिस रिपोर्ट व नई पुलिस रिपोर्ट दोनो को विचारित करने के पश्चात् नया आदेश पारित करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने कहा कि मुझे न्याय पालिका पे पूर्ण विश्वास है। जो भी कोई राजनैतिक प्रतिद्धंदी मेरे पीछे लगे है वो इस केस की आड़ में मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। मेरी निगाह में मृतक प्रसुता आशा बैरवा तथा मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा दोनो को न्याय नहीं मिला बल्कि दोनो कांग्रेस सरकार के निर्देश पर सुनियोजित तरीके से किये गये दूषित अनुसंधान के शिकार हुये। प्रकरण में लालसोट के तत्कालीन पुलिस अधिकारियो द्वारा डॉ. अर्चना शर्मा को प्रताडित किये जाने और उनसे भारी धन राशि मांगे जाने की महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर आई है, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने षड्यंत्रपूर्वक दबा दिया था, समय आने पर में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूँगा। आशा बैरवा व डॉ. अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिये मैं सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने के लिये तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि धरना प्रदर्शन के कारण आत्महत्या के उत्प्रेरण जैसा आरोप न्यायालय में नही टिकेगा और ऐसे अनर्गल अनुसंधान नतीजे देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर प्रशासनिक कार्यवाही होगी। सत्य की जीत होगी तथा मैं एक बार पुनः निर्दोष साबित होऊंगा।